न्यायालय–प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड ,नारायणगढ़ (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी : सौरभ कुमार सिंह)

———————————————————————————————

आर.सी.एस.नं.114 / 22
संस्थित दिनांक 11.10.2022

प्रकाशदास पिता बालुदास बैरागी, उम्र–45 वर्ष,
निवासी गोपालपुरा तहसील मल्हारगढ,
जिला मंदसौर,म.प्र. **वादी**

– वि रू द्ध –

1. रेखाबाई उर्फ रूकमणबाई पति मंगलदास बैरागी,
   उम्र–40 वर्ष,
2. मंगलदास पिता बालुदास बैरागी उम्र–43 वर्ष,
3. बालुदास पिता जगन्नाथ बैरागी, उम्र–75 वर्ष,
4. दशरथकुंवर पति भारतसिह राजपूत,उम्र–50 वर्ष,
   सभी निवासी–गोपालपुरा,तहसील मल्हारगढ,
   जिलामंदसौर,म.प्र.
5. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर,मंदसौर,म.प्र. **प्रतिवादीगण**

———————————————————————————————

वादी द्वारा अधिवक्ता श्री महावीर जोशी।
प्रतिवादी 1 लगायत 3 द्वारा अधिवक्ता श्री विनोद गुर्जर।
प्रतिवादी कं 4 द्वारा अधिवक्ता श्री के.सी.चौधरी।
प्रतिवादी कं 5 पूर्व से एकपक्षीय।

———————————————————————————————

/ /आदेश/ /

(आज दिनांक 11.11.2022 को घोषित)

1. इस आदेश द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व्य0प्र0सं0 (आई0ए0नं0–1) का निराकरण किया जा रहा है।

2. दावा तथा आवेदन पत्र (आई0ए0नं0–1) संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एंव प्रतिवादी कंमाक 2 सगे भाई एंव प्रतिवादी कं 3, वादी एंव प्रतिवादी कं 2 के पिता है। जिनकी संयुक्त पैतृक वडिलोपार्जित अविभाजित कृषि भूमि सर्वे कंमाक 36/मिन–7 रकबा 0.4300 हेक्टर मौजा गोपालपुरा में स्थित है। वादग्रस्त भूमि पर वादी एंव प्रतिवादी कं 1 व 2 का 1/2– 1/2 के मान से जन्म से हक एंव हिस्सा निहित है, प्रतिवादी कं 3 के हिस्से में जो कृषि भूमियॉ आयी थी वह प्रतिवादी कं 3 द्व ारा विक्रय कर दी गयी है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी कं 1 द्वारा प्रतिवादी कं 4 के पक्ष में बिना अधिकार विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया है। वादग्रस्त भूमि पर वादी एंव प्रतिवादी कं 1 व 2 का आधिपत्य चला आ रहा है। वादी एंव प्रतिवादी कं. 3 की

मानसिक स्थिति पिछले 10–15 से ठीक नही है उनकी सोचने, समझने एंव देखनी की स्थित क्षीण हो चुकी है। प्रतिवादी कं 1 व 2 ने प्रतिवादी कं 3 को प्रभाव में लाकर वादी को पक्षकार बनाये बिना दिनांक 05.02.2009 को षडयंत्रपूर्वक, कागजी विक्रय पत्र, राजस्व कर्मचारियो से मिलकर अपने नाम की प्रविष्टि करवा ली है। प्रतिवादी कं 1 व 2 ने वादग्रस्त भूमि में से रकबा 0.25 हेक्टेयर भूमि बिना किसी अधिकार, पोकल कागजी विक्रय पत्र के प्रतिवादी कं. 4 के पक्ष में करवा दी है। वादग्रस्त भूमि के 1/2 पूर्वी भाग जिसके उत्तर में रामदास पिता जगन्नाथदास बैरागी की भूमि, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में धर्मेन्द्रदास पिता बगदुदास बैरागी की भूमिव पश्चिम में बनवारीदास पिता अमरदास की भूमि है पर वादी काबिज है एंव सोयाबीन की फसल बो रखी है। वाद ग्रस्त भूमि के 1/2 पश्चिम भाग पर प्रतिवादी कं 1 व 2 काबिज है। प्रतिवादी कं 4 दिनांक 29.09.2022 को वादग्रस्त भूमि पर आकर रकबा 0.25 हेक्टेयर भूमि दिनांक 02.09.2022 उनके पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करना बताया है एंव कब्जा करने की धमकी दी है जिसकी रिपोर्ट वादी द्वारा दिनांक 29.09.2022 एंव 30.10.2022 को पुलिस थाना नारायणगढ पर करवायी गयी है। इस आधार पर प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमियो पर किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप करने से निषेधित किये जाने हेतु निवेदन किया है।

3. प्रतिवादी कं 1 लगायत 3 ने वाद पत्र का विरोध इस आधार पर किया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी एंव प्रतिवादी कंमाक 2 का 1/2 –1/2 हिस्से पर हक नही है। प्रतिवादी कं 3 की भूमियो का बटवारा नही हुआ है। वादग्रस्त भूमियो पर प्रतिवादी कं 1 का वर्ष 2009 से आधिपत्य चला आ रहा है एंव खेती करते एंव फसले बोते चले आ रहे है। प्रतिवादी कं 4 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र की जानकारी वादी को है। वादी को प्रतिवादी कंमाक 1 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र के संबंध में वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है। वादी का वादग्रस्त भूमि पर कभी कोई आधिपत्य नही रहा है। प्रतिवादी कं 1 द्वारा प्रतिवादी कं 4 को वादग्रस्त भूमि विक्रय दिनांक से उक्त भूमि पर प्रतिवादी कं 4 का आधिपत्य है। इस आधार आवेदन अस्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

4. प्रतिवादी 04 ने वाद पत्र का विरोध इस आधार पर किया है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी कं 1 रेखाबाई से क्रय की गई है। प्रतिवादी कं 1 रेखाबाई वादग्रस्त भूमि क्रय दिनांक से विक्रय दिनांक तक खेती करती चली आ रही है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी कं. 1 ने प्रतिवादी कं 3 से क्रय की है। प्रतिवादी कं 3 बालुदास कभी भी मानसिक संतुलन खराब नही रहा है और ना ही प्रतिवदी कं 1 व 2 ने अवैध प्रभाव व बिना प्रतिफल के विक्रय पत्र करवाया है। प्रतिवादी कं 4 ने बिना प्रतिफल के 0.25 हेक्टेयर विक्रय पत्र नही करवाया है। प्रतिवादी कं 3 द्वारा प्रतिवादी कं 1 के पक्ष में करवाया गया विक्रय पत्र दिनांक 05.02.2009 और प्रतिवादी कंमाक 1 द्वारा प्रतिवादी कं 4 के पक्ष में करवाया गया विक्रय पत्र वैध एंव वादी पर बंधनकारक है। इस आधार आवेदन अस्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

5. तथ्यो के आधार पर निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह हैं कि –

1. क्या वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला हैं?
2. क्या अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किये जाने से वादी को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी?
3. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी

करने के पक्ष में है ?

विनिश्चय एवं उसके आधार

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 के संबंध में

6. किसी पक्षकार द्वारा अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया वाद स्थापित करने हेतु यह पर्याप्त है कि उसके द्वारा अपने इप्सित अधिकार के संबंध में एक विचारण योग्य प्रश्न उठाया गया है तथा विवादित संपत्ति को यथास्थिति में बनाए रखना न्यायहित में आवश्यक है। वादी प्रकाश द्वारा अपने आवेदन पत्र (आई0ए0नं0–1) के समर्थन में स्वंय का एंव साक्षी बालूदास, जयसिह बंजारा, एहमदनूर शपथ पत्र प्रस्तुत कर वादपत्र एवं आवेदन के अभिवचनों का समर्थन किया है। वादी द्वारा खसरा दिनांकित 26.09.2022, 08.09.2022, विक्रय पत्र दिनांकित 02.09.2022, 05.09.2022 एंव पुलिस रिपोर्ट की छायाप्रति प्रस्तुत किये गये है।

7. प्रतिवादी मंगलदास, दशरथ कुंवर द्वारा स्वंय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर आवेदन के जवाब के अभिवचनो का समर्थन किया है। प्रतिवादी कं 4 द्वारा आवेदन के समर्थन में खाता नकल 2020–21 एंव विक्रय पत्र की छायाप्रतियॉ प्रस्तुत किये गये है।

8. न्यायालय द्वारा अस्थायी व्यादेश के प्रकृम पर प्रकरण के गुण दोष न देखकर प्रकरण प्रथम दृष्टया किसके पक्ष में है इस पर विचार किया जाता है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में उभयपक्ष के मध्य भूमि का बटवारा होने एंव अविभाजित होने का परस्पर विरोधाभासी अभिवचन किया गया है। बटवारा होने की स्थिति में वादी की प्रतिवादीगण के साथ सहदायिक समाप्त हो जाती है एंव संयुक्त भूमि होने की स्थिति में अस्थायी व्यादेश जैसा साम्यिक अनुतोष सहखातेदार के विरूद्व प्रदान नही किया जा सकता है। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपना स्पष्ट प्रथम दृष्टया आधिपत्य भी प्रमाणित नही किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में वादी/आवेदक के पक्ष में अस्थाई व्यादेश हेतु प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नही होता है।

विचारणीय प्रश्न कमांक 2 एवं 3 के संबंध में

9. जब वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया वाद ही नहीं हैं तो इन दोनों बिन्दुओं पर प्रथक से कोई निष्कर्ष देने की भी आवश्यकता नहीं है।

10. तद्नुसार स्थाई निषेधाज्ञा संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व्य0प्र0सं0 (आई0ए0नं0–1) अस्वीकार किया जाता है। इस आदेश का प्रकरण के गुण–दोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

मेरे आलेख पर टंकित किया गया।

Sd

(सौरभ कुमार सिंह)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड

नारायणगढ़,मंदसौर (म0प्र0)